(वाद सं0.- 2984/2019)

01.07.2021

प्रसंगाधीन मामला पटना जिलान्तर्गत अगमकुऑ थाना के तत्कालिन पु0अ0नि0, विजय कुमार एवं सिपाही–सह–मुशी, मोहन कुमार द्वारा परिवादी(गौरव कुमार) के साथ गाली गलौज करने तथा शर्ट का कॉलर में हाथ लगाकर धकेल देने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी** के प्रतिवेदनानुसार **''आवेदक गौरव कुमार की बुलेट मोटरसाइकिल चोरी हो गयी थी, जिस संबंध में उनके दिये गये आवेदन पत्र के आधार पर अगमकुऑ थाना कांड संख्या 694/18, दिनांक 15.09.18 धारा 379 भा0द0वि0 अज्ञात चोर के विरूद्व अंकित किया गया है। इस कांड के अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0 जिवय कुमार सिंह थे। वादी गौरव कुमार से दूरभाष के माध्यम से संपर्क किये तो बताये कि उस केश के अनुसंधानकर्त्ता द्वारा समय से अंतिम प्रपत्र समर्पित नहीं किया जा रहा था तथा बार–बार अनुरोध करने पर भी व्यस्त होने का बहाना बना रह थे। इस संबंध में जब वे एक आवेदन मुंशी मोहन सिंह को देना चाहे तो वे रिसिव नहीं किये तथा उन्हें उल्टा–फुल्टा बोल। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अंतिम प्रपत्र समर्पित कर दिया गया है। अब इन्हें कोई शिकायत नहीं है। पु0अ0नि0 विजय कुमार से पूछताछ**

किया तो बताये कि अगमकुआँ थाना कांड संख्या 694/18 के वह अनुसंधानाकर्त्ता थे। उक्त कांड के वादी बिना अनुसंधान पूर्ण हुए ही अंतिम

प्रपत्र समर्पित करने हेतू काफी दबाव बना रहे थे जबकि ये उस समय लोकसभा चुनाव में भी व्यस्त थे तथा कांड में वरीय पदाधिकारी से अंतिम प्रपत्र समर्पित करने से संबंधित कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। ये अनुसंधानोपरांत वरीय पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर यथाशीघ्र इस कांड में अंतिम प्रपत्र समर्पित कर दिये है। थाना में पदस्थापित मोहन सिंह से पूछताछ किया तो बताये कि इस थाना में ये कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य करते है। वादी जब इस केश के संबंध में मुझसे अंतिम प्रपत्र के संबंध में पूछे तो मैं उनको बोला कि मुझे किसी भी केश के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। आप अनुसंधानकर्त्ता या थाना के मुंशी से बात करीये। इसी बात को लेकर वे काफी गुस्सा में आये गये तथा मेरे साथ बदतमोजी से बात किये। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अगमकुआँ थाना कांड संख्या 694/18 के अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत अंतिम प्रपत्र सत्य–सूत्रहीन संख्या 289/19 दिनांक 10.05.19 समर्पित किया गया है। इस प्रकार जॉच एंव अभिलेखों के अवलोकन से वादी द्वारा लगाये गये आरोप सही प्रतीत नहीं होता है।

पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से आवेदन गौरव कुमार द्वारा लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं होता है।''

अनुसंधानकर्त्ता द्वारा घटना को सत्य लेकिन सूत्रहीन पाकर अंतिम प्रतिवेदन समर्पित

किया जा चुका है तथा वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा पुलिस निरोक्षक–सह–थानाध्यक्ष, अगमकुआँ के विरूद्ध परिवादी के द्वारा लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।

अब जबकि प्रसंगाधीन कांड पुलिस द्वारा 7अनुसंधानोपरान्त अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर उक्त मामले मे कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी उक्त के संबंध में संबंधित न्यायालय से विधिनुसार वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी म ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (अनुलग्नकों सहित) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक